न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 137/2022 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 13.05.2022
G.C.M.S. NO. :- 2022/137

बाबूलाल पिता उदा खटीक, जाति खटीक, निवासी आकोला, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलार्थी

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, भूपालसागर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार भूपालसागर, प्रकरण संख्या 17/2022 निर्णय दिनांक 08.04.2022

उपस्थितिः–1– श्री शिवनारायण जाट, अधिवक्ता अपीलार्थी
2– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 09.05.2024

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवार हल्का, रायपुरियाकला की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम रायपुरिया, ग्राम पंचायत गुंदली की कृषि सम्वत् 2078 आराजी नम्बर 2323/51 रकबा 0.03 हैक्टेयर भूमि पर अपीलार्थी का पक्के दो कमरों का निर्माण कर नाजायज कब्जा मानते हुए दिनांक 08.04.2022 को अपीलार्थी के विरूद्ध बेदखली, पेनल्टी लगान 1/– रूपये का 50 गुणा यानि 50/– रूपये शास्ति आरोपित करने के आदेश

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पारित किये जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार, भूपालसागर से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का मुख्य कथन यह रहा कि तहसील भूपालसागर के पटवार हल्का रायपुरिया की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी का ग्राम रायपुरिया, ग्राम पंचायत गुंदली की बिलानाम आराजी नम्बर 2323/51 रकबा 0.03 हैक्टेयर भूमि पर दो पक्के कमरों का निर्माण कर अपीलार्थी का नाजायज कब्जा मानते हुए, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के विरूद्ध बेदखली, लगान 1/-रू. का 50 गुणा जुर्माना यानि 50/-रूपये शास्ति आरोपित करने का आदेश पारित किया जो विधि-विपरीत होकर मनमाफिक आदेश होने से निरस्त योग्य है। अपीलार्थी सद्भावी काश्तकार है तथा अपील में वर्णित विवादित आराजीयात अपीलार्थी के कब्जे-काश्त की आराजीयात से लगी हुई है जिससे अपीलार्थी ने सद्भाविक भूलवश उक्त विवादित भूमि पर दो पक्के कमरे निवास हेतु बना लिये तथा अपने परिवार-कुटुम्ब सहित निवास कर रहा है अपीलार्थी के पास इसके अलावा अन्य कोई रिहायशी मकान नहीं है। यदि अपीलार्थी को उक्त विवादित आराजीयात से बेदखल कर निर्माण को तोड़ा जाता है तो अपीलार्थी मय परिवार बेघर हो जाएगा। अपीलार्थी के निवास का एक मात्र यही सहारा है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है। अपालार्थी को अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी ओर से साक्ष्य-सफाई पेश करने का समुचित अवसर नहीं दिया तथा एक तरफा सुनवाई कर अपीलार्थी को बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 08.04.2022 निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि राजकीय बिलानाम भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से पक्का निर्माण कर कब्जा कर रखा है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली, शास्ति आरोपित करने का पारित आदेश विधि सम्मत् है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र. सं. 137/2022 (रा. अ.)
बाबुलाल पिता उदा खटीक निवासी आकोला, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ बनाम राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, भूपालसागर, तहसील भूपालसागर

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अध्ययन एवं परिशीलन किया। पटवार हल्का द्वारा प्रस्तुत अतिक्रमण की रिपोर्ट को दर्ज रजिस्टर कर अपीलार्थी को सूचना पत्र जारी करने पर अपीलार्थी स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है तथा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर मौजूद है। अतः अपीलार्थी का कथन कि उसे साक्ष्य–सफाई पेश करने एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया मानने योग्य नहीं है।

अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील में ग्राम रायपुरियाकलां की प्रश्नगत आराजी पर उसके द्वारा सद्भाविक भूलवश दो पक्के कमरों का निर्माण करने का कथन किया है लिहाजा इस आराजी पर अपीलार्थी के अतिक्रमण के तथ्य को पृथक् से साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ग्राम रायपुरियाकलां की विवादित आराजीयात आराजी नम्बर 2323/51 रकबा 0.03 हैक्टेयर किस्म बिलानाम भूमि है जिस पर अपीलार्थी ने रकबा 0.03 हैक्टेयर भूमि पर दो पक्के कमरों का निर्माण कर नाजायाज कब्जा कर रखा है। यहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि भूमिधारी तहसीलदार को ऐसे नाजायज कब्जों को हटाने का अधिकार राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त किया गया है जिससे भूमिधारी तहसीलदार, भूपालसागर द्वारा की गई कार्यवाही पूर्ण रूप से विधि–सम्मत् होकर नियमों के परिप्रेक्ष्य में की गई है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर पटवार हल्का रायपुरियाकलां की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी का ग्राम रायपुरियाकलां की बिलानाम आराजी नम्बर 2323/51 रकबा 0.03 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण सिद्ध है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखल करने तथा जुर्माना लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित करने का पारित आदेश विधि सम्मत् होकर इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.04.2022 यथावत रखा जाता है।

''निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।''

(राकेश कुमार)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official